

कार्यालय:- महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून  
 आदेश सं०/सेवायें प्रशा०/स्था०/ १६४ /२०१९-२० दिनांक २२ जून, २०१९  
 कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत उप शिक्षा अधिकारी/समकक्ष पदों पर कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-४ में अंकित तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम/वर्तमान तैनाती	पदनाम/नवीन तैनाती	अन्युक्ति
१	२	३	४	५
१	श्री अमित कोटियाल	प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, यमकेश्वर, पौड़ी	उप शिक्षा अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
२	श्री पुष्कर लाल टम्टा	प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, ताकुला, अल्मोड़ा	उप शिक्षा अधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्रावधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- १(क) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- १(ख) अवमुक्त होने वाले अधिकारी नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि' (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि' (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (२) स्थानान्तरित अधिकारियों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (३) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (४) स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के ०३ दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (५) धारा-25 में निहित प्रावधानानुसार स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा कार्यभार से मुक्त होने से पूर्व महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के संबंध में एक कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा, जिसकी एक प्रति गार्ड फाईल में रखी जायेगी और एक प्रति सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)  
 महानिदेशक,  
 विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठा संख्या / सेवायें प्रश्ना / स्थान / 2019-20 दिनांक - उक्तवत्  
पृष्ठा संख्या 2213-५७

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
- 2— निजी सचिव, मार्ग शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
- 3— निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड, शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 4— सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 6— निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक / अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण।
- 7— सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8— अपर निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 9— समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10— सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
- 11— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 12— प्रभारी एमओआईएसओ, अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 13— सम्बन्धित अधिकारी।
- 14— गार्ड फाईल।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)  
महानिदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड